

प्रेषक,

मुरली मनोहर लाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 328A / सं०उ०शिक्षा/१
दिनांक 30.9.14

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

विषय:-

प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर, 2014

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०- सं०नि०(उ०शिक्षा)/एकल रथा० 31/2014-15 दिनांक 03 जुलाई, 2014 द्वारा प्रेषित प्रस्तावों/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के तहत सम्यक् विचारोपरान्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित प्रवक्ता को उनके नाम के सम्मुख कालम-04 के अनुसार अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र०.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डा० महिपाल सिंह, प्रवक्ता, गांधी स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुरजननगर-जयनगर, मुरादाबाद	भूगोल	गुलाबसिंह हिन्दू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांदपुर, स्याऊ, विजनौर।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त सहमति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की दशा में अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(मुरली मनोहर लाल)
विशेष सचिव।

संख्या-961 (1)/सत्तर-3-2014- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, संबंधित राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- (2) संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (3) संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) सचिव, उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (6) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०शासन।
- (7) विभागीय आदेश पुरितका हेतु।

संजय
वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु
30/09/14

आज्ञा से,
(वीरेन्द्र नाथ)
अनुसचिव।

संख्या-962 / सत्तर-3-2014-स्था0(01)/2012 टी0सी0

प्रेषक,

मुरली मनोहर लाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 338 A / रा०उ०शि०प०/20
दिनांक 30.9.14

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

विषय:-

प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर, 2014

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०- सं०नि०(उ०शि०)/एकल स्था० 40/2014-15 दिनांक 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रेषित प्रस्तावों/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2008 में विहित प्राविधानों के तहत सम्यक् विचारोपरान्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित प्रवक्ता को उनके नाम के सम्मुख कालम-04 के अनुसार अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र०	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रवक्ता, श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय, अलीगढ़।	गणित	गंजडुण्डवारा कालेज, गंजडुण्डवारा कासगंज।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त सहमति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की दशा में अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(मुरली मनोहर लाल)
विशेष सचिव।

संख्या:- 962(1)/सत्तर-3-2014- तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- (1) कुलसचिव, संबंधित राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
 - (2) संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
 - (3) संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - (4) सचिव, उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
 - (5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
 - (6) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०शासन।
 - (7) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

अज्ञा से,
(वीरेन्द्र नाथ)
अनुसचिव।

प्रेषक,

मुरली मनोहर लाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उ०प्र० शासनालय, शिक्षा परिषद, लखनऊ
338A
30.9.14

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 1/9 सितम्बर, 2014

विषय:-

प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०- सं०नि०(उ०शि०)/एकल स्था० 34/2014-15 दिनांक 03 जुलाई, 2014 द्वारा प्रेषित प्रस्तावों/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के तहत सम्यक् विचारोपरान्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित प्रवक्ता को उनके नाम के सम्मुख कालम-04 के अनुसार अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र०	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डा० भगत सिंह, प्रवक्ता, श्री वाष्णोय महाविद्यालय, अलीगढ़।	मनोविज्ञान	मेरठ कालेज, मेरठ।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त सहमति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की दशा में अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(मुरली मनोहर लाल)
विशेष सचिव।

संख्या:-963 (1)/सत्तर-3-2014- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, संबंधित राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- (2) संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (3) संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) सचिव, उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (6) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०शासन।
- (7) विभागीय आदेश पुरितका हेतु।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र नाथ)
अनुसचिव।

प्रेषक,

मुरली मनोहर लाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 338A
दिनांक 29.9.14

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 29 सितम्बर, 2014

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0- सं0नि0(उ0शि0)/एकल स्था0 43/2014-15 दिनांक 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रेषित प्रस्तावों/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के तहत सम्यक् विचारोपरान्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित प्राचार्य को उनके नाम के सम्मुख कालम-04 के अनुसार अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र0.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डा0 अनिल प्रताप सिंह, प्राचार्य, बयालसी महाविद्यालय, जलालपुर, जौनपुर।	प्राचार्य	महाराजा बलवन्त सिंह, महाविद्यालय, गंगापुर, वाराणसी।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त सहमति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की दशा में अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(मुरली मनोहर लाल)
विशेष सचिव।

संख्या:-965 (1)/सत्तर-3-2014- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, संबंधित राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- (2) संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (3) संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (6) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
- (7) विभागीय आदेश पुरितका हेतु।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र नाथ)
अनुसचिव।

संख्या-966/सत्तर-3-2014-स्था0(01)/2012 टी0सी0

प्रेषक,

मुरली मनोहर लाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
सं. 338 A / सं० उ० शि० प० / 20
दिनांक 20-9-14

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

विषय:-

प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

लखनऊ: दिनांक: 18 सितम्बर, 2014

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०- सं०नि०(उ०शि०)/एकल स्था० 322/2014-15 दिनांक 31 जुलाई, 2014 द्वारा प्रेषित प्रस्तावों/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के तहत सम्यक् विचारोपरान्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित प्रवक्ता को उनके नाम के सम्मुख कालम-04 के अनुसार अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र०	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डा० राजेन्द्र सिंह लोहिया, प्रवक्ता, बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया।	कृषि वनस्पति	अमरसिंह महाविद्यालय, लखावटी, बुलन्दशहर।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त सहमति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की दशा में अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(मुरली मनोहर लाल)
विशेष सचिव।

संख्या:-966 (1)/सत्तर-3-2014- तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- (1) कुलसचिव, संबंधित राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
 - (2) संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
 - (3) संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - (4) सचिव, उ०प्र० उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
 - (5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
 - (6) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०शासन।
 - (7) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,
(वीरेन्द्र नाथ)
अनुसचिव।

संख्या-967 / सत्तर-3-2014-स्था0(01) / 2012 टी0सी0

प्रेषक,

मुरली मनोहर लाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 338A / सं0उ0शि0प0/20
दिनांक 30-9-14

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

विषय:-

प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।

लखनऊ: दिनांक: 1 अगस्त, 2014

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0- सं0नि0(उ0शि0)/एकल स्था0 312/2014-15 दिनांक 23 जुलाई, 2014 द्वारा प्रेषित प्रस्तावों/संस्तुतियों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के तहत सम्यक् विचारोपरान्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित प्रवक्ता को उनके नाम के सम्मुख कालम-04 के अनुसार अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र0	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	संदीप कुमार, वरिष्ठ प्रवक्ता, आर0 के0पी0जी0 कालेज, शामली, प्रबुद्धनगर	वनस्पति विज्ञान	मेरठ कालेज, मेरठ।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त सहमति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की दशा में अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

(मुरली मनोहर लाल)
विशेष सचिव।

संख्या:-967 (1) / सत्तर-3-2014- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, संबंधित राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- (2) संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (3) संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (5) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (6) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
- (7) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र नाथ)
अनुसचिव।